दिनांक 2–3–2017 को श्री विजय किरन आनन्द, जिलाधिकारी एटा की अध्यक्षता में आहूत संग्रह विभाग की कार्यशाला का कार्यवृत्त

आज दिनांक 2–3–2017 को प्रातः 10.30 बजे कलक्ट्रेट एटा स्थित सभाकक्ष में राजकीय देयों की वसूली एवं उससे सम्बन्धित प्राविधान आदि के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें निम्नांकित अधिकारियों व्दारा प्रतिभाग किया गया।

1– श्री महेश चन्द्र शर्मा, अपर जिलाधिकारी,(वि0रा0) एटा
2– श्री रविप्रकाश श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी,एटा
3– श्री मोहन सिंह, उप जिलाधिकारी,अलीगंज
4– श्री राजपाल सिंह, उप जिलाधिकारी,जलेसर
5– श्री संजीव कुमार, अपर उप जिलाधिकारी,एटा
6– श्री रनवीर सिंह, तहसीलदार, एटा
7– श्री संजीव ओझा, तहसीलदार, जलेसर
8– श्री प्रदीप कुमार सक्सैना, मुख्य राजस्व लेखाकार,एटा

उक्त के अतिरिक्त जनपद के समस्त संग्रह अमीन एवं सामयिक संग्रह अमीन व समस्त तहसील एवं संग्रह कार्यालय कलक्ट्रेट एटा के समस्त कर्मचारीगण भी उपस्थित थें कार्यशाला में पूर्व सूचना के पश्चात भी श्री विजय कुमार छत्रपति, तहसीलदार अलीगंज उपस्थित नही हुए। कार्यशाला में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में तहसीलदार, अलीगंज से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय एवं उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक आहरित न किया जाय।

राजकीय देयों की वसूली कलेक्टर के अधीन राजस्व विभाग के विभिन्न अधिकारियं का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। वर्तमान में भूराजस्व के साथ–साथ अन्य विविध देयों की वसूली भी अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। इस वसूली से शासन की विभिन्न योजनाओं को कियान्वित करने के लिए धन की उपलब्धता होती है। वहीं नियमित रूप से वसूली में आम जनता में समय से ऋण की अदायगी करने की प्रवृति बढती है। अतः यह आवश्यक है कि राजकीय देयों की वसूली हेतु दीर्घकालीन महत्व को समझते हुए निम्न अधिनियम/मैनुअल/नियमावली में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार वसूली की जाये।

1. उ0प्र0राजस्व संहिता नियमावली–2016
2. यू0पी0पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) एक्ट–1972
3. उ0प्र0भू–राजस्व अधिनियम–1901
4. उ0प्र0कलैक्शन मैनुअल
5. राजस्व वसूली अधिनियम–1890,यथा संशोधित–2001(संग्रह व्यय 10प्रतिशत लिये जाने हेतु) तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार निर्देशों का प्रसारण।
6. सिविल प्रकिया संहिता–1860,यथा संशोधित–1908

उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर वसूली हेतु शासनादेश/परिषदादेश भी जारी होते रहे हैं। वसूली की रीतिः– भू–राजस्व की बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक से वसूल किये जाने का प्राविधान है।

1– बाकीदार पर मॉग पत्र या उपस्थित पत्र तामील करके। (राजस्व संहिता की धारा–169)
2– उस व्यक्ति की गिरफतारी और निरोधन से। (राजस्व संहिता की धारा–171)
3– उसकी चल सम्पत्ति की,जिसके अन्तर्गत उपज भी सम्मिलित है,की कुर्की और नीलामी से। (राजस्व संहिता की धारा–172)
4– उस लाकर व बैंक खाते की कुर्की से जिसके सम्बन्ध में बकाया हो। (राजस्व संहिता की धारा–173)
5– उस जोत की कुर्की करके या नीलामी करके जिसके सम्बन्ध में बकाया हो। (राजस्व संहिता की धारा–174 एवं 179)
6– बाकीदार की दूसरी अचल सम्पत्ति की कुर्की या नीलामी से। (राजस्व संहिता की धारा–177 एवं 179)
7– बाकीदार की चल अथवा अचल सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके।

वसूली हेतु दी गयी रीतियों को कम से प्रयोग में लाया जाना उचित होगा। यदि पहली रीति से वसूली सम्भव न हो तभी दूसरी रीति से वसूली के प्रयास किये जाने चाहिए। एक साथ दो–तीन तरीके अपनाये जाने के कारण ही बकायेदार अक्सर न्यायालय की शरण में चले जाते हैं इससे सम्पूर्ण वसूली प्रकिया ही बाधित हो जाती है।

कार्यशाला में उपस्थित सभी संग्रह अमीन/सीजनल संग्रह अमीनों के कर्तव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जमाबन्दी का लेखा एवं अन्य लेखा विवरण तथा आबंटित विवरण समय पर तैयार किये जायें, भू–राजस्व एवं अन्य सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी देय जिनकी वसूली भूराजस्व के बकाये की तरह की जाती है उनकी वसूली कर प्राप्त धनराशि बैंक में जमा की जाय और वसूली का व्यौरा विभिन्न रजिस्ट्रों यथा मॉग वसूली रजिस्ट्र, दैनिक बसूली रजिस्ट्र एवं कैश बुक में अंकित किया जाय। संग्रह अमीन व्दारा वसूल की गयी धनराशि को बैंक में जमा होने तक पूर्णरूप से उत्तरदायित्व होता है तथा उसका समस्त हिसाब–किताब देना भी उसका मुख्य कर्तव्य है। जमा धनराशि को सुरक्षित रखने में सहायता के लिए संग्रह सेवक तैनात किये गये हैं जब कभी भी संग्रह अमीन अपने क्षेत्र में रात्रि में निवास करते हों तो संग्रह सेवक संग्रह मैनुअल के अनुच्छेद–61 के अनुसार उनके साथ रहेंगे साथ ही संग्रह मैनुअल के अनुच्छेद –54 में भी यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि संग्रह अमीन अपने संग्रह सेवक को अपने साथ अवश्य रखें जब तक कि वसूल की हुई धनराशि बैंक में जमा न हो जाय।

विद्युत देय/बैंक देय/ यू0पी0एफ0सी0/स्थानीय निकाय/सहकारिता देय/अन्य निगमों के देय /मण्डी शुल्क/गन्ना देय/जल संस्थान/जल निगम के देय विविध राजकीय देय एवं विविध अर्द्धशासकीय राजकीय देय कलेक्टर के माध्यम से वसूली के लिए तब भेजे

जाते हैं जब उनके विभाग व्दारा वसूली सम्भव नहीं हो पाती है। अर्द्धशासकीय विभागों के राजकीय देयों की वसूली में बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत संग्रह व्यय राजस्व विभाग सम्मिलित कर वसूली सुनिश्चित कराता है और प्राप्त होने वाली 10 प्रतिशत संग्रह व्यय की धनराशि सरकार की आवश्यक योजनाओं का कियान्वन एवं शासकीय विभागों को वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

वर्तमान में प्रचलित प्रकिया के अनुसार विभिन्न विभागों व्दारा किसी व्यक्ति व्दारा समय से ऋण की अदायगी न किये जाने पर भू–राजस्व की भॉति वसूली हेतु विभिन्न देयों के वसूली प्रमाण पत्र वसूली हेतु आनलाइन फीड कर जिलाधिकारी पोर्टल पर स्थानान्तरित करते हैं और जनपद स्तर से उन्हें तहसील स्तर को स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं जहॉ अमीनवार मॉग का वितरण कर वसूली की जाती है। मॉग पत्र में अंकित धनराशि 10 प्रतिशत संग्रह व्यय सहित यदि देय हो तो वसूल करने के उपरान्त उसे तहसील पोर्टल पर फीड कर जनपद स्तर को सदर्भित कर दिया जाता है, जहॉ से विभाग के पोर्टल पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि जनपद एवं तहसील स्तर पर मा0 राजस्व परिषद व्दारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन पूर्ण रूप से नही किया जा रहा है जिसके कारण वसूली कार्य पर प्रभावी नियंत्रण जनपद स्तर से नही हो पा रहा है। अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) एटा को निर्देशित किया गया कि संग्रह अनुभाग में तत्काल दो टेलीफोन की व्यवस्था कराकर जनपद में समस्त तहसीलों के संग्रह अमीनों/नायब तहसीलदार/ तहसीलदार के भ्रमण कार्यक्रम की मानीटरिंग प्रातः 7 बजे से एक स्टाफ लगाकर की जाय तथा जनपद के सबसे बडे 300 बकायेदारों की समीक्षा संग्रह कार्यालय से भी की जाय। इस हेतु मुख्य राजस्व लेखाकार को उत्तरदायी बनाया जाय।

बैंकों व्दारा दायर किये गये बडे वसूली प्रमाण पत्रों में प्रभावी वसूली कराने एवं सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित है:–

1– जनपद में बैंकों व्दारा दायर किये गये बड़े 50 वसूली प्रमाण पत्रों की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2– सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत दायर मामलों में बैंकों को बाकीदारों की अचल सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन व्दारा सकिय सहयोग प्रदान किया जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक एक कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि जनपद में मॉग का अमीन बार समान रूप से बॅटवारा नही हुआ है। समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह अपनी–अपनी तहसील में संग्रह अमीनों की पदाशक्ति एवं मॉग की उपलब्धता के अनुसार समानुपातिक रूप से क्षेत्रों का बॅटवारा लिखित रूप से एक सप्ताह में करें तदनुसार ही संग्रह अमीनों को मॉग पत्रों का वितरण किया जाय।

कार्यशाला में उपस्थित उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि विद्युत देय के जिन बाकीदारों व्दारा ऋण की अदायगी नही की जा रही है उनके विद्युत

कनैक्शन काटे जाने हेतु तत्काल अधिशासी अभियंता विद्युत शहरी एवं ग्रामीण को पत्र भेजकर उनके कड़ी कार्यवाही कराई जाय साथ ही यह तथ्य सज्ञान में आने पर कि किसी भी विद्युत

उपभोक्ता का स्वीकृत भार से अधिक उपयोग किया जा रहा है तो इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियंता/अवर अभियंता को दी जाकर उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–135 एवं 138 बी के प्राविधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही करायी जाय।

सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि संग्रह अमीन के पास वास्तविक संग्रह मॉग की 70 प्रतिशत वसूली अनिवार्य रूप से दो माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें और जिन संग्रह अमीनों व्दारा मॉग के सापेक्ष 70 प्रतिशत वसूली नही की जाती है तो उन संग्रह अमीनों के विरूद्ध कडी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि तहसील में अभिरक्षित मॉग पंजिकाओं से प्रत्येक संग्रह अमीन की मॉग एवं वसूली का उससे प्रत्येक शनिवार को मिलान कराकर सहायक राजस्व लेखाकार एवं संग्रह अमीन के हस्ताक्षर कराये जायें ताकि संग्रह अमीन एवं तहसीलों की मॉग में समानता बनी रहे एवं प्रत्येक अमीन व्दारा सप्ताह में किये गये संग्रह का ब्यौरा शनिवार की सांय तक प्रत्येक दशा में संग्रह कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

प्रत्येक तहसील के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार दिनांक 31–3–2017 तक अपने–अपने स्तर से 50–50 लाख रूपया वसूल करेंगे। यह धनराशि संग्रह अमीनों व्दारा संग्रहीत धनराशि से पृथक होगी। संग्रह अमीनों व्दारा वसूली कार्य प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार प्रत्येक संग्रह अमीन के भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र में उनकी उपस्थिति की चैकिंग के साथ–साथ वसूली में अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जिससे राजस्व में गुणोत्तर सुधार हो सके। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जिन बाकीदारों पर विभिन्न विभागों की बडी धनराशि बकाया हेतु लम्बित है उनके विरूद्ध नियमानुसार स्वंय अनुश्रवण करते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा छोटे बकायेदारों को बार–बार तगादा कर उन्हें समझा बुझाकर अपनी धनराशि को जमा करने हेतु प्रेरित किया जाय। छोटे बाकीदारों की किसी भी दशा में प्रताडना न की जाय। उपजिलाधिकारी स्वंय यह सुनिश्चित करें कि संग्रह अमीनों को उनकी वसूली के दौरान आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाय तथा उन्हें उचित संरक्षण प्रदान किया जाय। बाकीदारों की गिरफ्तारी एवं कुर्की के दौरान आवश्यकतानुसार उचित पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाय।

सभी नायब तहसीलदार संग्रह अमीनों व्दारा की गयी वसूली के 10 प्रतिशत कूपन प्रत्येक माह एकत्रित कर तहसील के संग्रह अनुभाग को प्राप्त करायेंगे तथा संग्रह अमीनों व्दारा की जा रही वसूली की कलैक्शन मैनुअल में दी गयी रीति के अनुसार सहायक राजस्व लेखाकार की सहायता से संग्रह अमीन के लेखा की जॉच करेगें ताकि राजकीय धन का गबन किये जाने की सम्भावना न हो।

यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई बकायेदार राशन डीलर या शस्त्र लाइसेंसी है और उसके व्दारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो उप जिलाधिकारी अपने स्तर से राशन डीलर के विरूद्ध नियमानुसार निलम्बन की कार्यवाही करें एवं ऐसे बाकीदार जो शस्त्र

लाइसेसीं हैं उनके शस्त्र लायसेंस निलम्बन की कार्यवाही हेतु अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

कार्यशाला के दौरान यह भी तथ्य संज्ञान में लाया गया कि बधंक भूमि का राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के पश्चात भी ऋणी व्दारा विक्रय कर दिया जाता है और तहसीलदार एव नायब तहसीलदार व्दारा उसका दाखिल खारिज भी कर दिया जाता है, जो कि विधि सम्मत नही है। अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में पृथक से कार्यालय ज्ञाप समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल निर्गत करायें। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार व्यक्तिगत ध्यान देते हुए संग्रह अमीनों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं का 10 दिन के अन्दर निराकरण कर अवगत करायें।

अन्त में सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यशाला का समापन किया गया।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी,एटा

सं० 258 / सो०आर०ए० / दिनांक 4/3/2017

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतुः—

1. आयुक्त, अलीगढ मण्ड़ल, अलीगढ को सादर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0रा0) एटा
3. जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक, एटा
4. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद एटा
5. अपर उप जिलाधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय, एटा
6. समस्त तहसीलदार जनपद एटा को अनुपालनार्थ
7. समस्त नायव तहसीलदार जनपद एटा
8. अध्यक्ष, राजस्व संग्रह अमीन संघ जनपद एटा

जिलाधिकारी,एटा

421rahat